



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252885
CG-DL-E-12032024-252885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 166]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

सा.का.नि. 178(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के 250 वर्ष) के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के 250 वर्ष के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में दो सौ पचास रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमा और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
दो सौ पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.- माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के 250 वर्ष के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

**पहली अनुसूची
(नियम 4 देखें)**

दो सौ पचास रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “250” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का प्रतीक चिन्ह होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के 250 वर्ष” उत्कीर्ण होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “250 YEARS OF MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED” उत्कीर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष “1774-2024” क्रमशः प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित होंगे।

**दूसरी अनुसूची
(नियम 5 देखें)**

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
दो सौ पचास रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/20/2023 -सिक्का]

अनु पी. मथाई, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

G.S.R. 178(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the Occasion of 250 Years of Mazagon Dock Shipbuilders Limited) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**- The coin of two hundred fifty rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of completion of 250 years of Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

3. **Dimension and composition of coin.**- The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Two Hundred Fifty Rupees	Circular 44 millimetre	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. **Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 shall be coined to commemorate the occasion of completion of 250 years of Mazagon Dock Shipbuilders Limited and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

TWO HUNDRED FIFTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “250” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of coin shall bear the image of logo of Mazagon Dock Shipbuilders limited in the centre of the coin. The inscription “माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के 250 वर्ष” in devnagari script shall be written on the upper periphery. The inscription “250 YEARS OF MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED” in English shall be written on the lower periphery of coin. The years “1774-2024” in international numerals shall be flanked below the logo.

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Two Hundred Fifty Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/20/2023-Coin]
ANU P. MATHAI, Adviser